

# समाहरणालय कटिहार

जिला निर्वाचन कार्यालय



कैवल तनुज, माओप्रोसे  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह- जिला पदाधिकारी, कटिहार  
• :- +91-9473191375  
E-mail-dm-katihar.bih@nic.in

पत्रांक / निर्वाचन, कटिहार दिनांक-

सेवा में,

निदेशक,  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
बिहार पटना।

विषय : बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 हेतु निर्वाचन सामग्री से संबंधित निविदा सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर उपयोग होने वाले विभिन्न मतदान सामग्री एवं भाड़े पर प्राप्त की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों के दर/संवेदक निर्धारण हेतु अल्पकालीन निविदा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है।

अतएव अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 2/2020-21 की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अल्पकालीन निविदा को दिनांक 26.06.2020 के पूर्व किन्ही तीन दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-

जिला पदाधिकारी, कटिहार।

ज्ञापांक 199 निर्वाचन, कटिहार, दिनांक 18/06/2020

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि संलग्न अल्पकालीन निविदा सूचना को निर्धारित तिथि तक दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कटिहार (एन0आइ0सी0) को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईड पर प्रदर्शित कराने हेतु प्रेषित।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

-सह-

जिला पदाधिकारी, कटिहार।

# समाहरणालय कटिहार

जिला निर्वाचन कार्यालय



कँवल तनुज भा०प्र०से०

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

—सह— जिला पदाधिकारी, कटिहार।

• :- +91-9473191375

E-mail-dm-katihar.bih@nic.in

## निविदा सूचना-02 / 2020-21

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के लिए निर्वाचन कार्य में उपयोग की जाने वाली (I) मतदान/मतगणना सामग्री (II) लेखन सामग्री (III) टेन्ट शमियाना (IV) कम्प्यूटर / विडियोग्राफी / डिजिटल कैमरा / Live Video Streaming/ GPRS enabled tracking unit (V) ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं (VI) भोजन सामग्री के क्रय/भाड़े पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले सामग्रियों के दर निर्धारण के लिये मद संख्या I से VI के सामग्री क्रय/भाड़े पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले सामग्रियों के न्यूनतम दर निर्धारण/संवेदक चयन हेतु दिनांक 20/7/2020 के अपराह्न/पूर्वाह्न 17:00 बजे तक योग्य एवं अनुभवी निविदादाता से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा द्विलिफाफीय पद्धती में जमा किया जायेगा जिसमें एक तकनिकी एवं दुसरा वित्तीय दर के लिये होगा। इसके लिये जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार के स्तर से मदवार प्रपत्र I, II, III, IV, V एवं VI तैयार किया गया है। सभी मद से संबंधित मदवार प्रपत्र 1000/- (एक हजार) रुपये में जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार के नजारत से प्रत्येक कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में क्रय कर प्राप्त किया जा सकता है जिसकी राशि वापस नहीं की जायेगी। इच्छुक निविदादाता निविदा के निर्धारित शर्तों के अनुरूप निर्धारित तिथि एवं समय तक जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार में निविदा समर्पित कर सकते हैं।

मदवार खरीदे गये मूल प्रपत्र में अंकित सामग्रियों/मदों के विरुद्ध अंकित दर अंक एवं अक्षर में पूर्ण रूपेण भर कर तिथि सहित प्रतिष्ठान का पुरा नाम एवं पता के साथ हस्ताक्षर अंकित कर जमा किया जाना अनिवार्य होगा (छायाप्रति या अन्य कोई प्रपत्र में अंकित दर स्वीकार नहीं होगा तथा अंकित दरों में कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा)।

प्राप्त निविदा दिनांक 21/7/2020 को अपराह्न/पूर्वाह्न 11:00 बजे जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—जिला पदाधिकारी, कटिहार की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में खोली जायेगी जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

1. मदवार संबंधित सामग्री की सूची अवलोकन हेतु जिला के वेबसाईड [www.katihar.bih.nic.in](http://www.katihar.bih.nic.in) पर भी उपलब्ध है, साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार से प्रत्येक कार्यदिवस को कार्यालय अवधि में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार से प्राप्त मदवार सामग्री की मूल सूची ही निविदा में मान्य होगा।
2. विस्तृत जानकारी के लिये [www.prdbihar.gov.in](http://www.prdbihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,  
—सह—  
जिला पदाधिकारी, कटिहार।

# समाहरणालय कटिहार

जिला निर्वाचन कार्यालय



कैवल तनुज, भा0प्र0से0

जिला निर्वाचन पदाधिकारी

—सह— जिला पदाधिकारी, कटिहार।

• :- +91-9473191375

E-mail-dm-katihar.bih@nic.in

## निविदा सूचना

आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के लिए निर्वाचन कार्य में उपयोग की जाने वाली (I) मतदान/मतगणना सामग्री (II) लेखन सामग्री (III) टेन्ट शमियाना (IV) कम्प्यूटर /विडियोग्राफी/डिजिटल कैमरा/ Live Video Streaming/ GPRS enabled tracking unit (V) ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं (VI) भोजन सामग्री के क्रय/भाड़े पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले सामग्रियों के दर निर्धारण के लिये दिनांक 20/7/2020 के अपराह्न 17:00 बजे तक योग्य एवं अनुभवी निविदादाता से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा द्विलिफाफीय पद्धति में जमा किया जायेगा, जिसमें एक तकनीकी एवं दूसरा वित्तीय दर के लिये होगा। इसके लिये जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार के स्तर से मदवार I, II, III, IV, V एवं VI प्रपत्र तैयार किया गया है। सभी निविदा से संबंधित मदवार प्रपत्र 1000/- (एक हजार रुपये) में जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार के नजारत से कार्यालय अवधि में प्रत्येक कार्यदिवस में क्रय किया जा सकता है जिसकी राशि वापस नहीं की जायेगी। इच्छुक निविदादाता निम्न निर्धारित शर्तों के अनुरूप निर्धारित तिथि व समय तक जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार में निविदा समर्पित कर सकते हैं।

मदवार खरीदे गये मूल प्रपत्र में अंकित सामग्रियों/मदों के विरुद्ध अंकित दर अंक एवं अक्षर में पूर्णरूपेण भरकर तिथि सहित प्रतिष्ठान का पूरा नाम एवं पता के साथ हस्ताक्षर अंकित कर जमा किया जाना अनिवार्य होगा। (छाया प्रति या अन्य कोई प्रपत्र में अंकित दर स्वीकार नहीं होगा तथा अंकित दरो में कटिंग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा )

प्राप्त निविदा दिनांक 21/7/2020 के अपराह्न पूर्वाह्न 11:00 बजे जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—जिला पदाधिकारी, कटिहार की अध्यक्षता में गठित क्रयसमिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में खोली जायेगी जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

### निविदा की सामान्य शर्त

1. कोई भी निविदा निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. जिस निविदादाता का तकनीकी निविदा स्वीकृत योग्य पाया जायेगा उन्ही का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

3. मदवार निविदा अलग-अलग लिफाफे में देनी होगी।
4. मदवार संबंधित सामग्री की सूची अवलोकन हेतु जिला के वेबसाईट [www.katihar.bih.nic.in](http://www.katihar.bih.nic.in) पर भी उपलब्ध है, साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय, कटिहार से प्रत्येक कार्यदिवस में तथा कार्यालय अवधि में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त मदवार सामग्री की सूची ही निविदा में मान्य होगा।
5. सफल निविदादाता को कार्यादेश के पश्चात सभी संबंधित सामग्री जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्धारित स्थल पर निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय अलग से देय नहीं होगा।
6. निविदादाता द्वारा प्रदत्त सेवाओं से संबंधित उपलब्ध कराये गये विपत्रों का भुगतान आवंटन के उपलब्ध होने पर की जाएगी। विलम्ब के स्थिति में किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान (सूद) देय नहीं होगा।
7. निविदाताओं के विपत्र भुगतान के समय नियमानुसार करो की अग्रिम कटौती करते हुए की जायेगी।
8. एक व्यक्ति/फर्म एक से अधिक मदों के लिए निविदा दे सकते हैं, किन्तु क्रमांक (I) से (VI) मदों के लिये अलग-अलग सुरक्षित राशि जमा करनी होगी।
9. निर्धारित न्यूनतम दर पर एक से अधिक सफल निविदादाताओं के साथ एकरारनामा तथा कार्य आवंटित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. बिना कोई कारण बताये निविदा में संशोधन करने, स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को पूर्णतः सुरक्षित रहेगा।
11. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजातों का सभी पृष्ठ निविदादाता द्वारा स्वअभिप्रमाणित एवं पृष्ठांकित करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता जिसका निविदा/दर को स्वीकृत किया जाता है उन्हें एकरारनामा (Agreement) से पूर्व प्रत्येक मद के लिये 25,000.00 (पच्चीस हजार) रुपये सुरक्षित जमा के रूप में बैंक ड्राफ्ट/ बैंक गारण्टी के रूप में देना होगा जिसकी शर्तें वित्तीय नियमों के अनुरूप एवं बाध्यकारी होगी।
13. सामग्री आपूर्ति के समय लागू GST दर ही मान्य होगा।
14. दर निविदा एक वर्ष तक मान्य रहेगा परन्तु इसपर Fall Clause के नियम लागू होंगे।



15. निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य निष्पादित नहीं करने/आपूर्ति नहीं करने पर सुरक्षित जमा राशि जप्त कर लिया जायेगा तथा फर्म/प्रोपराईटर पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ।
16. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा व्यवहार न्यायालय कटिहार के क्षेत्राधिकार में होगा ।
17. भाड़े पर आपूरित किये जाने वाले किसी भी सामग्री के टूट-फूट/क्षतिग्रस्त/खोने की स्थिति में सामग्री का एवं कार्यारत कर्मों के शारिरिक क्षति की सारी जवाबदेही निविदादाता की होगी ।

### तकनीकी निविदा की शर्त


- 1) निविदा-दाता को आयकर से संबंधित पैन कार्ड तथा विगत तीन वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के आयकर विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य संलग्न करना होगा ।
- 2) निविदादाता को माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 (GST) के अन्तर्गत निबंधित होना अनिवार्य होगा तथा साक्ष्य स्वरूप GST स्थायी प्रमाण-पत्र तथा अद्यतन मासिक/त्रैमासिक विवरणी संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- 3) निविदादाता को Shop & Establishment Act अथवा उद्योग विभाग अथवा Company Act के अन्तर्गत निबंधित रहना अनिवार्य होगा ।
- 4) निविदा के साथ मदवार प्रपत्र (I) से (III) के लिये अलग-अलग मो0 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये एवं प्रपत्र (IV) से (VI) के लिये अलग-अलग मो0 25000.00 (पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी, कटिहार के पदनाम से देय होगा अग्रधन राशि के रूप में तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा । किसी भी स्थिति में फार्म का चेक या नकद स्वीकार नहीं होगा ।
- 5) निर्वाचन कार्य का अनुभव रखने वाले निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है ।
- 6) प्रपत्र I, एवं II मद के लिये निविदा समर्पित करने वाले फर्म का गत वित्तीय वर्ष 2018-19 का Turn-Over 50,00,000.00 (पचास लाख) एवं प्रपत्र III के लिये Turn-Over 25,00,000.00 (पच्चीस लाख) का होना चाहिए जिसका Audited Balance Sheet जमा करना अनिवार्य होगा ।



- 7) विडियोग्राफी / डिजिटल फोटोग्राफी / Live Video Streaming/ GPRS enabled tracking unit के लिए निविदा के साथ उपलब्ध कराने वाली सामग्री / क्षमता (प्रतिदिन व्यक्ति के साथ कैमरा) का उल्लेख करना होगा।
- 8) निविदादाता को बैंक खाता से संबंधित अद्यतन विवरणी संलग्न करना होगा।
- 9) निविदादाता को इस आशय का स्वघोषित शपथ पत्र देना होगा की निविदा की सभी शर्तें मंजूर हैं।

### वित्तीय निविदा की शर्त

- 1) जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मदवार उपलब्ध कराये गये मूल सूची के क्रमानुसार ही संबंधित सामग्री का दर अंकित होगा एवं अंकित दर में सभी प्रकार का कर सम्मिलित रहेगा। निविदादाता द्वारा सामग्रीयों का दर रूपये में अंकित करना होगा। MRP शब्द मात्र (राशि रहित) अथवा सांकेतिक दर अंकित करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 2) सामग्री पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) राशि का सामग्री के अनुमोदित दर से कम रहने पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) राशि के अनुसार ही भुगतान होगा।

  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,  
—सह—  
जिला पदाधिकारी, कटिहार।